

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प. 1(5)(24) संस्था/रानिआ/2014/Part-IV/1273 दिनांक:- 12/04/2023

बोली आमंत्रण सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय, जयपुर में कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु 03 प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर (अनुमानित लागत 4.50 लाख रुपये) की सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदकों से बोली दिनांक 19.04.2023 को अपराह्न 12:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना एवं बोली दस्तावेज आयोग की वेबसाईट <http://secrajasthan.gov.in> एवं SPPP Portal पर देखे व प्राप्त किये जा सकते हैं।

NIB CODE- SEC 2324 A 0001

UBN- SEC 2324 S80B 00001

चित्रा
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प. 1(5)(24) संस्था/रानिआ/2014/Part-IV/1274-1276 दिनांक:- 12/04/2023

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को उपरोक्त निविदा को एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने बाबत।
2. सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को SPPP Portal विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

कार्यालयध्यक्ष
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प. 1(5)(24) संस्था/रानिआ/2014/Part-IV/1273

दिनांक:- 12/4/23

निविदा सूचना संख्या 01/2023-24

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय, जयपुर में कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु 03 कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रशिक्षित कार्मिक) की सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक, जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमत एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वस्तु एवं सेवा कर (GST), आय कर (पेन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से निम्नलिखित प्रकार से बोली (तकनीकी/क्वालिफाईंग बिड व वित्तीय/प्राईस बिड) आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	बोली प्रतिभूति राशि (रु.)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रु.)	बोली दस्तावेज डाउन लोड/प्राप्त करने की दिनांक एवं समय	बोली दस्तावेज जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक एवं समय	अनुबंध अवधि
1	03 प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर	4.50 लाख	9,000 / -	200 / -	12.04.2023 02.30 P.M से	19.04.2023 12.30 P.M. तक	19.04.2023 3.00 P.M.	10 माह

- बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाईट <http://sec.rajasthan.gov.in> एवं SPPP Portal पर देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
- बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क (Non-refundable) राशि का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में बनाना होगा।
- निविदा दो कवर में दिनांक 19.04.2023 अपरान्ह 12:30 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम कवर में तकनीकी प्रस्ताव (जिसके साथ बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा) एवं द्वितीय कवर में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे। तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखे एवं सील बन्द किये जाकर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर को भौतिक रूप से दिनांक 19.04.2023 को अपरान्ह 12:30 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
- बोली (तकनीकी/क्वालिफाईड बिड) दिनांक 19.04.2023 समय अपरान्ह 3.00 बजे राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
- तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियां खोली जायेगी, जिसके लिये दिनांक एवं समय की सूचना आयोग द्वारा पृथक से दी जायेगी।
- किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

चित्रा

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(प्रथम कवर में)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प. 1(5)(24) संस्था/रानिआ/2014/Part-IV/1273

दिनांक 12/4/2023

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. निविदा शुल्क 200/- रसीद/ड्राफ्ट संख्या/बैंकर्स चैक दिनांक बैंक
2. प्रतिभूति राशि रु. 9,000/- ड्राफ्ट नं. दिनांक बैंक
3. बोलीदाता/संवेदक का नाम :-
4. डाक का पता :-
5. फोन/मोबाईल नं. :-
6. ई-मेल :-
7. बैंक का नाम :-
IFSC Code :-
खाते का प्रकार :- बचत/चालू खाता
खाता संख्या :-
8. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां बोली दस्तावेज के साथ संलग्न करनी होगी :-

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

9. बोलीदाता/संवेदक को गत 3 वित्तीय वर्ष में केन्द्र/ राज्य में राजकीय विभाग/ उपक्रम/स्वायत्त संस्थाएं/परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/आयोग/ शिक्षण संस्था/द्वैकों में न्यूनतम 03 कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रशिक्षित कार्मिक) एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रतियां बोली दस्तावेज के साथ संलग्न करनी होगी :-

क्र.सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रशिक्षित कार्मिक) की संख्या एवं आदेश का विवरण	उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रशिक्षित कार्मिक) की समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

10. मैं/हम सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना संख्या दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर
नाम मय सील

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

वित्तीय बोली

निविदा सूचना संख्या दिनांक के क्रम में हम/मैसर्स
..... की ओर से कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवाओं
के उपापन के लिये वित्तीय बोली/प्राइस बिड दरें निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:-

क्र.सं.	सेवा का नाम/श्रमिक की श्रेणी	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी			EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति माह प्रति इकाई रु.)	कुल राशि रु. Excluding GST
		श्रमिक की संख्या	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रति माह प्रति इकाई रु.)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दर (प्रति माह प्रति इकाई)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर (उच्च कुशल)	03	रुपये 8658 (रुपये 333/- प्रतिदिन)		नियमानुसार	नियमानुसार		

हमारे द्वारा प्रस्तुत दरें समस्त कर सहित हैं। उक्त दरों में GST सम्मिलित नहीं है। GST अतिरिक्त देय होगा।

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर

नाम मय सील

नोट:- उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 4 एवं 6 व 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 5, 8 व 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां (स्तम्भ संख्या 5 में प्रविष्टि दशमलव एवं ऋणात्मक दर स्वीकार्य नहीं होगी) अंकित की जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग,

राजस्थान, जयपुर।

बोली की मुख्य शर्तें

General Terms & Conditions of Bid & Contract

Important Instructions: - The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012 " [hereinafter called the act] and the Rajasthan Transparency in Public procurement Rules, 2013 ' [hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.rajasthan.gov.in> Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. प्रस्तुत निविदा के संबंध में वित्त (जी एंड टी) विभाग के आदेश संख्या 01/2018 दिनांक 30.04.2018 व स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 14.11.2018, साथ ही RTTP Act 2012 & Rules 2013 तथा वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, आदेश, दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से अंशदान की कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई. पी. एफ. और ई. एस. आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

रजि.
[Signature]

8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई. एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व पूर्णतया संवेदक/बोलीदाता का होगा।
9. वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगा। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति, आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये राज्य निर्वाचन आयोग का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये आयोग कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत कार्यालय को प्राप्त होती है, तो इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
15. कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकार का अधिकारी नहीं होगा। प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्तें, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
16. तकनीकी बोली/वाणिज्यिक बोली में सफल संवेदक/बोलीदाता से दर संविदाओं के अंतिम मूल्यांकन में अपेक्षित संख्या में कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
17. अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिये उनकी कीमत कम कोट करता है, तो उस दर संविदा के अधीन कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक की कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
18. अनुबन्ध की अवधि, अनुबन्ध किये जाने की दिनांक से 29.02.2024 तक की होगी। अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से विद्यमान शर्तों एवं दरों पर आगे भी बढ़ाई जा सकेगी।
19. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि के 90 दिन की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

(Signature)
(Signature)

20. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
21. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी, वह 07 दिवस में कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करायेगा।
22. **मूल्यांकन की कसौटी:-** तकनीकी बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता संवेदक/बोलीदाता की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।
23. बोलियों का अपवर्जन :- राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित (Excluded) किया जा सकेगा।
24. बोली प्रतिभूति राशि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के नाम से डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जायेगी। बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-

- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
- (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
- (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (घ) जब सफल बोलीदाता विहित समय के भीतर कार्यादेश के अनुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रशिक्षित कार्मिक) की सेवाएँ उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।

25. करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-

- (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के नाम से जमा करानी होगी। एवं रुपये 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
- (ब) सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है। यदि सफल बोलीदाता द्वारा पृथक से पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवाई जाती है, तो बोली प्रतिभूति की राशि संबंधित को लौटाई जायेगी।
- (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा किसी प्रकार के ब्याज आदि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-

- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई-अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण कराने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

27. भुगतान :-

- (क) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिये अनुबंधित सेवा प्रदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

28. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :- बोलीदाता के सेवा सप्लाई करने में असफल रहने पर परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर की जायेगी :-

(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये	2.5 %
(ख)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिये	5 %
(ग)	विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिये	7.5%
(घ)	विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये	10%
(ङ)	विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।	
(च)	परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।	
(छ)	यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है, वह लिखित में उक्त प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिये आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।	
(ज)	यदि सेवा की सप्लाई करने के उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाताओं के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकती है।	

29. बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता है।

नाम	श्रीमती अपर्णा शर्मा, कार्यालयाध्यक्ष
कार्यालय का नाम	राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर
दूरभाष नं.	0141-2227407




सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

कम्प्यूटर (प्रशिक्षित कार्मिक) का विवरण, जॉब/कार्य एवं विशिष्ट शर्तें

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव
 1. स्नातक या मान्यता प्राप्त संस्थाओं से समक्षक योग्यता के साथ कम्प्यूटर परिचालन में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स
 2. कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान (ऑफिस ऑटोमेशन ई-मेल) अंग्रेजी व हिन्दी भाषा में कार्य का अनुभव।
 3. कम से कम एक वर्ष का अनुभव
2. जॉब/कार्य :- ऑपरेटर का जॉब/कार्य का विवरण इस प्रकार है:-
 1. राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य करना।
 2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त गति से टंकण कार्य एवं प्रिंटिंग करना।
 3. एम.एस.वर्ड, एम.एस.एक्सल, पावर पॉइन्ट आदि में कार्य करना।
 4. ई-मेल करना, प्राप्त करना/डाटा एन्ट्री का कार्य करना।
 5. विभिन्न पोर्टल/माइयूल्स में सूचनाओं को अपलोड एवं अद्यतन करना।
 6. ई-गवर्नेंस में कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित संबंधित कार्य करना।
 7. संबंधित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित एवं सूचना तकनीक से संबंधित अन्य आवंटित कार्य करना।
3. विशिष्ट शर्तें:-
 1. कार्यालय में लगाये जाने वाले ऑपरेटर बोली में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। निविदादाता द्वारा जिन ऑपरेटर्स की सूची प्रस्तुत की गई है वही ऑपरेटर कार्मिक कार्य कर रहा है अथवा नहीं निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि वे निविदा में वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुसार है। जहां पर अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे स्तर के अनुरूप कराया जायेगा।
 2. बोलीदाता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद या पूर्व भी आवश्यकता अनुसार ऑपरेटर्स की सेवाएं देनी पड सकती है।
 3. किसी भी माह में राजकीय अवकाश के अतिरिक्त ऑपरेटर्स के कार्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार कटौती मासिक बिल से की जावेगी।
 4. विशेष परिस्थितियों में आयोग राजकीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश की अवधि को बढ़ा सकता है, जिसके लिए उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में से कोई आवश्यक कार्य होगा तो उसे बोलीदाता को अन्यत्र स्वयं के खर्च पर करवा कर देना होगा।
 5. कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा को निरस्त किया जा सकेगा।
 6. यदि कार्यालय में किसी भी ऑपरेटर को किसी भी प्रकार की हानि अथवा दुर्घटना या अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी।
 7. ऑपरेटर की सेवाओं के लिये किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
 8. भुगतान संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर माह की समाप्ति पश्चात् सेवा प्रदाता के खाते में किया जावेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभारित किया जावेगा।
 9. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
 10. कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रशिक्षित कार्मिक) कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा ऑपरेटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को आयोग को संभलवायेगा।

For:-
[Signature]

11. कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रशिक्षित कार्मिक) द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेड़छाड़/रद्दोबल/धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 12. कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रशिक्षित कार्मिक) आयोग में गरिमा बनाये रखेगा सदव्यवहार करेगा एवं धूम्रपान नहीं करेगा।
 13. कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रशिक्षित कार्मिक) अवैध गतिविधि/अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा। उक्त कार्मिक का चाल-चलन एवं चरित्र अच्छा होना चाहिए।
 14. पारिश्रमिक का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा एवं भुगतान की नियमितता वजत उपलब्धता एवं बोलदाता से प्राप्त दस्तावेजों की प्रस्तुती के अध्याधीन होगा।
 15. निविदाएं दो स्तरीय तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में होगी। पहले तकनीकी निविदा खोली जावेगी उसमें सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदाएं खोली जायेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय उपापन कमेटी का होगा।
 16. सफल निविदाता को जिसकी बोली उपापन कमेटी द्वारा स्वीकार करने के पश्चात जो समय निर्धारित किया जावे उसके अनुसार 5 प्रतिशत धरोहर राशि एवं निर्धारित राशि के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पर करार प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि का समायोजन धरोहर राशि में किया जा सकेगा।
 17. ऑपरेटर की सेवाये वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह फरवरी 2024 तक है। इसे किसी भी समय 15 दिवस पूर्व नोटिस देकर सेवाएं समाप्त की जा सकती है तथा दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति होने पर समान दरों एवं शर्तों पर अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध के समय उपलब्ध कराये जाने वाले प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की सूचना निम्नांकित प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी।

क्र.सं.	प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का नाम	पिता/पति का नाम	निवास पता	ई.पी.एफ. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6

परि-
धर्म

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर
नाम मय सील

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं, वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति की पूर्ण रूप से समपहत किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- (a) have controlling partners/ shareholders in common; or
- (b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- (f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Declaration by The Bidder regarding Qualification

In relation to my/ our Bid submitted to for procurement of response to their Notice Inviting Bid No. Dated..... I/ We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/ We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/ We have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/ We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/ our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/ our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/ We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/ our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/ our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/ We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

Quint
Thur
143

(6) Fee for Filing Appeal

- (a) Fee for filing appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Handwritten signatures:
Three signatures in black ink and one in blue ink.

Memorandum of Appeal
(See sub-rule 1 of rule 83)

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in
Public Procurement Act, 2012**

Appeal No of
Before..... (Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- a. Name and father's name of the appellant :
b. Official address :

.....
.....

- c. Residential address :
.....

.....

2. Name and address of the respondent(s)

- a.
b.
c.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative

.....
.....

5. Number of affidavits and documents enclose with the appeal:

6. Grounds of appeal:-

.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer

.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Amir
Amir **TUR**

Additional Conditions of Contract**1. Correction of arithmetic errors :-**

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

- (a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities :-

- (a) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (b) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (c) In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of goods of the original contract. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award :-

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the bidders, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.